**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>08.10.2026</u>**

प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 06.10.2026 के कुर्की आदेश के माध्यम से कुल ₹34.91 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्थान पुलिस की ओर से नेक्सा एवरग्रीन समूह के विरुद्ध बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी तथा दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को यह झूठा आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उनकी धनराशि गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास एवं प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश की जाएगी। निवेशकों को 60 सप्ताह तक 3% साप्ताहिक प्रतिफल की गारंटी अथवा प्लॉट आवंटित करने का वादा किया गया। इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय रेफरल योजना के तहत नए निवेशकों को जोड़ने के लिए लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार सहित अतिरिक्त कमीशन एवं पुरस्कार देने की पेशकश भी की गई। यह योजना जनवरी 2023 तक जारी रही, जब अचानक साप्ताहिक भुगतान बंद कर दिए गए तथा वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और कार्यालयों को बंद कर दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि रणवीर बिजारणिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया का इस संपूर्ण धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने आगम के स्तरों को छिपाने और उन्हें विभिन्न माध्यमों से अंतरित करने के लिए अपने सहयोगियों एवं निवेशकों के नाम पर कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), साझेदारी फर्मों तथा एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं का जाल स्थापित किया और उनका संचालन किया। इन

संस्थाओं तथा उनके बैंक खातों का व्यवस्थित रूप से निवेशकों से धनराशि एकत्र करने, विभिन्न खातों के बीच धनराशि अंतरित करने, पोंजी योजना की प्रकृति के अनुरूप पहले के निवेशकों को प्रतिफल का भुगतान करने तथा अचल संपत्तियां अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार धनराशि के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया गया। वर्तमान कुर्की आगम के अंतरण एवं निपटान को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

जांच में पता चला है कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान रणवीर सिंह उर्फ रणवीर बिजारणिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नेक्सा एवरग्रीन समूह के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशकों से लगभग ₹2,676 करोड़ एकत्र किए। कंपनी के सॉफ्टवेयर डेटा के अनुसार, 47,664 निवेशकों को उनकी निवेशित राशि से कम धनराशि वापस मिली, जिससे कुल ₹932.54 करोड़ की कमी सामने आई।

कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग ₹29.37 करोड़ मूल्य की 69 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलेरा और धंधुका स्थित भूमि के भूखंड एवं आवासीय प्लॉट, अहमदाबाद और सीकर स्थित आवासीय फ्लैट, सीकर में एक प्लॉट तथा गोवा के कैलंगुट स्थित शाइनिंग सैंड बीच रिसॉर्ट में 45% हिस्सेदारी शामिल है। ये संपत्तियां नेक्सा एवरग्रीन नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के नाम पर हैं। इनमें मेसर्स नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नेक्सजेन एवरग्रीन एनर्जी (एलएलपी), मेसर्स क्रिस्टल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (एलएलपी), मेसर्स कैम्ब्रिज बिल्डर्स (एलएलपी) और मेसर्स श्री शारदा नाथ इन्फ्रा (एलएलपी) के साथ-साथ रणवीर सिंह, श्री सुभाष चंद्र बिजनोरिया तथा उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नेक्सा एवरग्रीन समूह की विभिन्न संस्थाओं के नाम पर संचालित 26 बैंक खातों/सावधि जमा में जमा ₹5.54 करोड़ की धनराशि को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2025 में धन शोधन निवारण अधिनियम  की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में स्थित 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशियों के दौरान

₹2.05 करोड़ की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, अभिलेख और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, नेक्सा समूह की विभिन्न संस्थाओं एवं उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों और क्रिप्टो खातों में जमा लगभग ₹15.31 करोड़ की धनराशि को फ्रीज किया गया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 10.08.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम  की धारा 19 के तहत सुभाष चंद्र बिजनोरिया को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में जयपुर केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में है। ₹34.91 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की नवीनतम अनंतिम कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क/फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹52 करोड़ हो गया है। इसमें जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियां तथा नकदी/बैंक/क्रिप्टो खातों में जमा धनराशि शामिल है।

आगे की जांच जारी है।